29-01-20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वादी पक्ष
निर्णीत डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 120/दावा/2019 तारीख दायरा 13.11.2019

उनवान

लियाकत शाह गोदनशीन पुत्र गुलाबशाह जाति फकीर निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

—वादी

बनाम

1. हुसेन शाह माता चन्दा पिता इदेशाह जाति फकीर निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड
2. हसन शाह माता चन्दा पिता इदेशाह जाति फकीर निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड
3. राजस्थान सरकार जेरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 88, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :— श्री अशोक कुमार अधिवक्ता वादी

कैलाशचन्द वैष्णव प्रतिवादी नम्बर 1

निर्णय दिनांक 29/01/2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने इस आशाय का वाद जर्ये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम जेतपुरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 42 पुरानी 41 की खसरा संख्या 336 की 5.13 बीघा आराजी वादी की माता व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की माता के शामिल खाते में दर्ज हैं।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा सन्दल उर्फ सल्ली पुत्री खाजू शाह के खाते में दर्ज है। सन्दल उर्फ सल्ली बाई का देहानत दिनांक 04.06.2012 को हो चुका है उनके कोई औलाद नहीं होने से उसके जायज वारिसान पति गुलाब शाह पिता रमजान शाह जाति फकीर निवासी एक मात्र वारिस हैं सन्दल उर्फ सल्ली पिता खाजू शाह के पति गुलाब शाह नें वादी को दिनांक 09.08.2012 को जरिये रजिस्टर्ड गोद पुत्र तहसील मनोहरथाना में वादी के पक्ष में करवा दिया ओर तभी से गुलाब शाह का वादी

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

गोदनशीन पुत्र है। गुलाब शाह पिता रमजान शाह का देहान्त दिनांक 17.01.2014 को हो चुका है। इस कारण से सन्दल बाई उर्फ सल्लीबाई का एक मात्र जायज वारिस वादी है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में सन्दल उर्फ सल्ली का देहान्त हो जाने के पश्चात् वारिस पति गुलाबशाह है तथा गुलाबशाह का देहान्त हो जाने के पश्चात् एक मात्र वादी ही सन्दल उर्फ सल्लीबाई का वादी एक मात्र वारिस है इस कारण से वादी को वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में 1/2 भग आराजी का खातेदार टिनेन्ट घोषित होने योग्य है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में सन्दल उर्फ सल्लीबाई के खाते की 1/2 भाग आराजी को अपने खाते दर्ज करवाने बाबत तहसीलदार मनोहरथाना को निवेदन किया एवं ग्राम पंचायत मनोहरथाना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 09.06.2014 के आधार पर वादी की मद नम्बर 1 आराजी को वादी के खाते दर्ज करने की कहा तो इन्कार हो गये। वादी ही एक मात्र मृतक सन्दल उर्फ सल्ली बाई पुत्री खाजूशाह पत्नी गुलाबशाह का एक मात्र वारिस है गोद पुत्र (रजिस्टर्ड गोदनामा) के आधार पर वादी को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जावें।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी को प्रतिवादीगण से अपने नाम खाते दर्ज करवाने बाबत कहा तो इन्कार कर दिया, अन्तिम बार दिनांक 04.11.2019 को कहने पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये संम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 की तरफ से कैलाश चन्द वैष्णव ने वकालत नामा पेश किया तथा दावे का जवाब पेश किया। प्रतिवादी नमबर 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है। जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया है, साथ अवलोकन करने स्पष्ट होता है कि वाद में अंकित आराजी पर वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से कोई आपत्ति नहीं है। सन्दल उर्फ सल्ली का देहान्त हो जाने के पश्चात् वारिस पति

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

गुलाबशाह है तथा गुलाबशाह का देहान्त हो जाने के पश्चात् एक मात्र मृतक सन्दल उर्फ सल्ली बाई पुत्री खाजूशाह पत्नी गुलाबशाह का एक मात्र वारिस है गोद पुत्र (रजिस्टर्ड गोदनामा) के आधार पर वादी को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाना न्याय हित में प्रतीत होता है।

अतः उक्त वाद में आदेश दिया जाता है कि ग्राम जेतपुरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 42 पुरानी 41 की खसरा संख्या 336 की 5.13 बीघा आराजी में से 1/2 भाग सन्दल उर्फ सल्ली पुत्री खाजूशाह के स्थान पर उसके मृतक पति गुलाबशाह के गोदनशीन पुत्र वादी लियाकत शाह गोदनशीन पिता गुलाबशाह को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। जमाबन्दी में वादी के नाम अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 120 / दावा / 2019 तारीख दायरा 13.11.2019

उनवान

लियाकत शाह गोदनशीन पुत्र गुलाबशाह जाति फकीर निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

–वादी

बनाम

1. हुसेन शाह माता चन्दा पिता इदेशाह जाति फकीर निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड
2. हसन शाह माता चन्दा पिता इदेशाह जाति फकीर निवासी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड
3. राजस्थान सरकार जेरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

– प्रतिवादीगण

वाद धारा 88, 91 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर. ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार वकील मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :– वाद वादी फर्द डिग्री किया जाता है कि तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम जेतपुरा तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 42 पुरानी 41 की खसरा संख्या 336 की 5.13 बीघा आराजी में से 1 / 2 भाग सन्दल उर्फ सल्ली पुत्री खाजूशाह के स्थान पर उसके मृतक पति गुलाबशाह के गोदनशीन पुत्र वादी लियाकत शाह गोदनशीन पिता गुलाबशाह को खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। जमाबन्दी में वादी के नाम अमल दरामद किया जावे। फर्द डिग्री जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

आज दिनांक 29/01/20 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner